राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4597/2022

सुनिता कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एएनएम के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन पीएचसी, पदमपुरा, झुन्झुनू से उप केन्द्र, सोहडा, बाडमेर में किया गया है।
3. उनका तर्क है कि आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए उसे समायोजित/पदस्थापित किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.11.2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, गुणिनिया, झुन्झुनू से स्थानान्तरणाधीन का संशोधन/शुद्धिकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुरा, चिडावा, झुन्झुनू में लेब टेक्निसियन के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया एवं अपीलार्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पीएचसी, पदमपुरा, खण्ड चिडावा में लगाया गया।
4. उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को गलत रूप से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिशेष दर्शाया गया है जबकि वह अधिशेष नहीं

है एवं उसे पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में नियम विरूद्ध किया गया है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 को अपास्त किया जावे।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
6. आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को अधिशेष होना माना गया है। अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेज दिनांक 15.11.2022 (अनुलग्नक–2) प्रस्तुत किया गया है, उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत है और लेब टेक्निसियन के पद के विरूद्ध कार्य कर रहा है और उसी के पद के विरूद्ध वेतन आहरित कर रहा है। ऐसे में अपीलार्थी को अधिशेष होना आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 में माना गया है, उसे त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा बताई गई आपत्ति उचित नहीं है। अतः अपील में कोई बल नहीं होने से अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R